राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(अम्बेडकर भवन, जी–3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर–302005)

क्रमांक एफ1( )/स्था/सान्याअवि/2017/83656 जयपुर दिनांक 16/8/17

–: आदेश :–

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा – 2013 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा अनुसार कार्मिक (क–4/2) विभाग के पत्रांक प.9(190)कार्मिक/क–4/2/2017 दिनांक 3.8.2017 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय–समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में ग्रुप 'बी' परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के पद पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की कालावधि (परिवीक्षा काल) के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार पे–बैंड (2) (9300–34800) एवं ग्रेड–पे 4200 में देय स्थिर पारिश्रमिक रुपये 14600/– वेतन भत्तों पर एतद द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह संगत तिथि विभागीय फाउण्डेशन कोर्स (प्रशिक्षण) के लिए इन्दिरा गांधी पंचायति राज संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में रिपोर्ट करने की तिथि के अनुसार होगी :–

क्र. सं.	मैरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	श्रेणी	जन्म तिथि
1.	363	916855	VIMLESH KUMAR S/O PURUSHOTTAM BULWAN 46A SARASWATI NAGAR NIWARU ROAD JHOTWARA JAIPUR	GE-RG	01/07/1974
2.	364	933090	BIRDA RAM BISHNOI S/O BAGROO RAM BISHNOI VILLAGE SODHADARA TEHSIL BAP, DISTRICT JODHPUR RAJASTHAN	BC-RG	28/02/1977
3.	373	931800	JITENDRA KUMAR BOHRA S/O HASTIMAL KALYAN PURA MARG NO 4 NAIYON KA WAS BARMER	GE-RG	20/06/1986
4.	374	934545	RAJENDRA PUNIYA S/O JAI RAM PUNIYA VILLAGE SWARI POST SITHARA VIA/TH PIPAR SHAHAR DIST JODHPUR RAJ 342601	BC-RG-NG	06/07/1986
5.	384	932816	KARNI SINGH NATHAWAT S/O MADAN SINGH 203, HANUWANT B SECTOR BZS COLONY, JODHPUR RAJASTHAN	GE	02/07/1986
6.	385	921076	SHIV CHARAN SHARMA S/ORADHA KISHAN SHRAMA A-50 AZAD NAGAR NEAR AIRPOT SANGANER JAIPUR RAJASTHAN	GE	11/08/1986

क्र. सं.	मैरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	श्रेणी	जन्म तिथि
7.	395	921603	RAJESH KUMAR BURI S/O BHOLA RAM BURI VPO MANDASI TEH NAWAL GARH DIST JHUNJHUNU RAJ	BC-RG	10/07/1969
8.	453	932120	ASMA PEERZADA D/O ZAHEER MOHAMMED 153 SHANTI PRIYA NAGAR BEHIND CHEERGHAR C.H.B. ROAD JODHPUR RAJASTHAN	GE-WE	25/09/1984
9.	496	926649	POOJA DIGGA D/O PRADEEP KUMAR DIGGA PRADEEP KUMAR DIGGA, STATION ROAD NAPASAR BIKANER PIN CODE 334201	GE-WE	21/11/1991
10.	659	920648	PRIYA CHOUDHARY D/O RAJENDRA CHOUDHARY ROAD NO 3 NEAR MODERN PUBLIC SR. SEC. SCHOOL, JHUNJHUNU RAJASTHAN PIN CODE 333001	BC-WE	15/08/1989
11.	1028	927888	LOKESH KUMAR MEENA S/O RAMJI LAL MEENA 22 RAKHLA KI DANI, VPO DUNGERPUR, TEH RAMGARH PACHWARA DAUSA, RAJASTHAN 303511	ST	15/09/1990
12.	1424	920747	MOOL CHAND BALAI S/O PHOOL CHAND BALAI V- MAJIPURA PO BARSINGHPURA TEH. DANTARAMGARH SIKAR 332402	SC-RG	10/07/1980
13.	1668	919016	SURESH KUMAR REGAR S/O CHOTHMAL PRANAY NIWAS BEHIND PNB KHOJA GATE ROAD BAHERLI BUNDI RAJASTHAN 323001	SC	24/07/1986
14.	1984	920538	PAWAN KUMAR VERMA S/O SURAJ MAL VERMA VILL-DABADI PO-SADINSAR DIST SIKAR RAJASTHAN	GE-EX	01/01/1973
15.	2049	928064	SHRAVAN KUMAR MEENA S/O GOPAL LAL VILLAGE RANOLI POST BICHHA TEHSIL RAMGARH PACHWARA DIST DAUSA RAJASTHAN PINCODE 303510	ST-BL	20/07/1990

उक्त नियुक्तिया निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है:–

1. उक्त नियुक्तियां मा. सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पेशल अपील संख्या 18272–76/2008 (सिविल अपील संख्या 2049–2053/2011) तथा याचिका संख्या 140/11 एवं मा. उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 6744/2008, 11200/2010 याचिका संख्या 1862/2013 और मा. उच्च न्यायालय में लम्बित सभी विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। इसके साथ ही मा. उच्च न्यायालय में दायर डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 334/17 द्वारा श्री भंवरराम चौधरी व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 9.5.2017 तथा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7815, 7825/17 व 8020/17 द्वारा देवेन्द्र पाल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 12.7.2017 की अनुपालना में नियुक्तियां उक्त आदेश के अध्यधीन रहेगी। इसी प्रकार डी.बी. स्पेशल अपील रिट सं. 1498/16 झाबरमल ग्रहवाल तथा 1410/16 द्वारा लक्ष्मणसिंह बनाम आयोग के प्रकरणों में मा. उच्च न्यायालय,

जयपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 26.5.2017 के विरूद्ध मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी. तथा एस.बी.सी. डब्ल्यूपी संख्या 13952/16 रामूराम बनाम राज्य सहित कुल 07 रिट याचिकाओं/प्रकरणों (यथा एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 13952/16, 13473/16, 13930/16, 13953/16, 13994/16, 14398/16 व 15120/16) में मा. न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 30.5.2017 के विरूद्ध खण्डपीठ के समक्ष दायर की जाने वाली एस.एल.पी. के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। मा. उच्च न्यायालय में दायर रिट संख्या 11200/2010 के अध्यधीन भी उक्त नियुक्तियां रहेगी।

2. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं प.14 (1) वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
3. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
4. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है, और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय–समय पर संशोधित नियमों के अनुसरण में उक्त सेवा नियमों के ग्रुप 'बी' परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/सहायक अधीक्षक गृह के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
6. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
7. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
8. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नही पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान समाज

कल्याण अधीनस्थ सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

9. सेवा से नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा .की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तो के रूप में सदत्त रकम वसूली योग्य नही होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।

10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्त संदत्त नही होगा।

11. अभ्यर्थियों को दिनांक 04.09.2017 को प्रातः 9.30 तक अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से विभागीय फाउण्डेशन कोर्स के लिए विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण स्थल इन्दिरा गांधी पंचायति राज सस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में उपस्थित हो जाना चाहिए। अभ्यार्थियों के लिए विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई आवास सुविधा में निवास करना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा दिनांक 04.09.2017 से 08.09.2017 अपरान्ह तक उपलब्ध होगी।

12. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसरण में टीएसपी वर्ग अभ्यर्थियों से उक्त अधिसूचना के क्रम में आवश्यक शपथ पत्र लेते हुए नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जावें।

13. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र प्रमाण पत्र/पुलिस वेरीफिकेशन राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र/पुलिस वेरीफिकेशन प्रतिकूल प्राप्त होता है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नही होगा।

14. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

15. उक्त अभ्यार्थियों को नियुक्ति के समय अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। उक्त अभ्यार्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में त्रुटि/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

16. अभ्यर्थी को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यार्थियों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत कर दिया है उन्हें, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा।

17. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीवित संतान/सन्तानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

18. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नही करते है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(डॉ० समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक एफ1( )/स्था/सान्याअवि/2017/ 83657-807 जयपुर दिनांक 16/8/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क–4/2) शासन सचिवालय जयपुर।
5. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
6. निजी सचिव निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (संतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि जयपुर।
8. निजी सचिव, उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन), सान्याअवि।
9. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण................................।
10. एसीपी मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री ....
12. व्यक्तिगत पत्रावली।
13. आदेश पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव